

**विद्युत सेवा आयोग**  
**उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिंग**  
 (उ०प्र० सरकार का उपकम)  
 एस०एल०डी०सी० परिसर (निकट मंत्री आवास)  
 विभूति खण्ड, फैज-२, गोमती नगर, लखनऊ-२२६०१०  
 CIN : U32201UP1999SGCO24928  
 विज्ञापन सं० ०२/VSA/२०२१/APS

उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लिंग हेतु समूह 'ग' के अन्तर्गत अपर निजी सचिव एवं अपर निजी सचिव(विभागीय) के निम्नलिखित श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है:-

**1. रिक्तियों का विवरण:-**


पद कोड	पद का नाम	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग(EWS)	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
25	अपर निजी सचिव (ADDITIONAL PRIVATE SECRETARY)	00	00	00	02 (बैकलॉग)	00
25.D	अपर निजी सचिव (विभागीय) ADDITIONAL PRIVATE SECRETARY (DEPT.)	02	00	00	00	00

- उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिंग के पास सुरक्षित है।
- आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।
- उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है।
- विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑन-लाइन परीक्षा (CBT) एक से अधिक पालियों/दिवसों में करायी जायेगी। विभिन्न शिफ्ट के प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के पश्चात् संलग्नक-1 के अनुसार Normalisation method (CBT के प्रथम एवं द्वितीय भाग में) श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा।
- अपर निजी सचिव (विभागीय) के पदों पर आवेदन हेतु मात्र उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लिंग एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों में कार्यरत न्यूनतम 03 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके आशुलिपिक ही अर्ह होंगे।

**2. वेतनमान:-** वेतन मैट्रिक्स लेवल-08, में वेतनमान रु० 47,600/- एवं अन्य भर्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिंग में लागू नियमानुसार देय होगें।

**3. सामान्य अर्हतायें:-**

(i)	राष्ट्रीयता	<p>सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-</p> <p>(क) भारत का नागरिक हो, या</p> <p>(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या</p> <p>(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा (म्यांमार), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ़्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ़ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रवर्जन (Migrate) किया हो: प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका हो:</p> <p>प्रतिबन्ध यह भी है कि श्रेणी (ख) में आने वाले अभ्यर्थी को पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।</p> <p>अग्रिम प्रतिबन्ध यह भी है कि उपर्युक्त श्रेणी (ग) में आने वाले अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण पत्र में दी गई अवधि के पश्चात् सेवा में नहीं रखा जायेगा जब तक उसने भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र न प्राप्त कर लिया हो।</p>
-----	-------------	--



(ii)	आयु	दिनांक 01.01.2021 को न्यूनतम - 21 वर्ष दिनांक 01.01.2021 को अधिकतम - 40 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा का प्रतिबन्ध केवल ऐसे पदों के लिये लागू होगा जो वाह्य अभ्यर्थियों हेतु सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत विज्ञापित हैं।)
(iii)	चरित्र प्रमाण पत्र	(क) नियुक्ति प्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन करवा लें परन्तु किसी भी स्थिति में सत्यापन का कार्य परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद के लिये न छोड़ा जाये। सेवा के मध्य कभी भी पुलिस द्वारा अच्छे चरित्र के प्रतिकूल सूचित किया जाता है तो उसे निरन्तर सेवा में रहने की आज्ञा नहीं दी जायेगी तथा उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस प्रतिकर अथवा वेतन के निरस्त कर दी जायेंगी। (ख) अभ्यर्थी को अन्तिम शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (ग) अभ्यर्थी जिस क्षेत्र का निवासी है उस क्षेत्र के दो ऐसे सम्बन्धित व्यक्तियों, जो अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों, से सत्तरचरित्रा का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
(iv)	स्वस्थता प्रमाण पत्र	प्रत्येक अभ्यर्थी, जो प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाये गये हों, को सेवा में कार्यमार ग्रहण करने से पूर्व मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिसे कारपोरेशन ने इसके लिए प्राधिकृत किया हो, से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
(v)	वैवाहिक स्थिति	सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पत्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी हो, परन्तु यह कि निदेशक मण्डल ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

नोट—केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियन्त्रणाधीन किसी प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा सेवा से पदच्युत (Dismissed) व्यक्ति/अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए आरोपित दोष सिद्ध व्यक्ति/अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होंगे।

#### 4. अनिवार्य अहंतायें एवं चयन प्रक्रिया:-

प्र अनिवार्य अहंतायें : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

नोट—उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों में कार्यरत न्यूनतम 03 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके आशुलिपिक ही अपर निजी सचिव(विभागीय) के पदों पर आवेदन हेतु अहं होंगे।

#### प्र चयन प्रक्रिया :

लिखित एवं दक्षता परीक्षा : चयन लिखित परीक्षा (सी0बी0टी0), टंकण एवं हिन्दी आशुलेखन परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा (सी0बी0टी0) का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दो भाषाओं में होगा।

प्रथम भाग :- (1) इस भाग में **NIELIT** के "O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात् यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक  $1/4$  अंक प्रदान किये जायेंगे अर्थात्  $1/4$  अंक की कटौती की जायेगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अहं न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किये गये अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

द्वितीय भाग :- इस भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिनके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक  $1/4$  अंक प्रदान किये जायेंगे अर्थात्  $1/4$  अंक की कटौती की जायेगी।



पाठ्यक्रम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
सामान्य अध्ययन	40	40
तार्किक ज्ञान	40	40
सामान्य हिन्दी (इंटरमीडिएट उच्च स्तर)	60	60
सामान्य अंग्रेजी (इंटरमीडिएट उच्च स्तर)	60	60
<b>कुल अंक</b>	<b>200</b>	

### तृतीय भाग:-

- उपरोक्त द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों की मेरिट के आधार पर हिन्दी आशुलेखन तथा हिन्दी व अंग्रेजी की टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थियों में आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष तीन गुने से कम नहीं होगी।

- आशुलेखन तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा के मानक निम्नवत् होंगे:-

(1) **आशुलेखन परीक्षा** :- हिन्दी आशुलेखन परीक्षा के लिये दिये जाने वाले श्रूतलेख (Dictation) हेतु 5 मिनट का समय निर्धारित होगा। इस 5 मिनट की अवधि में दिये गये श्रूतलेख (Dictation) के कम्प्यूटर पर टंकण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित होगा और इस प्रकार इस 35 मिनट की अवधि में लिये गये श्रूतलेख एवं किये गये टंकण के आधार पर आशुलेखन गति का निर्धारण किया जायेगा।

(2) **टंकण परीक्षा** :- (i) हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टंकण की परीक्षा ली जायेगी। हिन्दी टंकण की परीक्षा Kruti Dev 010 या 016 फॉन्ट में ली जायेगी।

(ii) टंकण हेतु अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जायेगा।

**प्रतिबन्ध**- चयन हेतु आशुलेखन में **80 शब्द प्रति मिनट** की गति एवं हिन्दी व अंग्रेजी टंकण में **40-40 शब्द प्रति मिनट की गति** प्राप्त करना अनिवार्य होगा अथवा आशुलेखन एवं हिन्दी व अंग्रेजी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।

**विशेष**- (1) उपरोक्तानुसार, निर्धारित प्रतिबन्धों एवं अहंताओं के अधीन, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

(2) उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उप्र अधिक होगी।

(3) परीक्षा प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य ऐसे बिन्दु जिनका विनियमावली में कोई उल्लेख नहीं है के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग के पास सुरक्षित है।

**5. परीक्षा स्थान**- परीक्षायें यथासंभव लखनऊ, मेरठ, आगरा एवं वाराणसी शहरों में होंगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

**6. अनिवार्य अहंतायें सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण**- अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा(CBT)में अस्थायी रूप से (provisionally) सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा मात्र ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने से अहंता अथवा चयन का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं हो जायेगा।

(क) अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित अहंता सम्बन्धी योग्यता प्रमाण पत्र/अंकपत्र/जाति प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र(दिनांक 31.03.2017 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है।) इत्यादि (जो अप्रासंगिक हों उन्हें छोड़कर) की एक-एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट के साथ अभिलेखों की जाँच के समय जमा करायी जायेगी। दक्षता परीक्षा(टंकण एवं आशुलेखन) के उपरान्त अहं पाये गये अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा (CBT) के द्वितीय भाग में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठता के आधार पर रिक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 02 गुना शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के ही अहंता से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच की जायेगी।

*[Signature]*



(ख) किसी भी प्रकार की गलत सूचना प्राप्त होने/देने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है।

(ग) किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गयी सूचना में बदलाव (यथा नाम, जन्मतिथि, जाति श्रेणी आदि) नहीं किया जायेगा।

(घ) हिन्दी आशुलेखन तथा टंकण परीक्षा एवं अहंता सम्बन्धी समस्त अभिलेखों की जाँच हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा कि स्थिति में चयन प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए, अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा।

7. आयु में अनुमन्य छूटः— अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट अनुमन्य होगी।

8. आरक्षणः— आरक्षण के सम्बन्ध में ०३० प्र० शासन द्वारा समय-समय पर जारी एवं कॉरपोरेशन द्वारा अंगीकृत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार ही आरक्षण के नियम लागू होंगे।

आरक्षण का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को केवल आवेदित श्रेणी का ही लाभ अनुमन्य होगा।

कारपोरेशन द्वारा अंगीकृत नवीनतम शासनादेश के अनुसार विज्ञापित पदों के विरुद्ध गणनानुसार क्षेत्रिज आरक्षण के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक, विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अभ्यर्थियों हेतु पद उपलब्ध नहीं हैं।

9. अनापत्ति प्रमाण पत्रः— यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

10. आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जः—आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्ज़ अप्रतिदेय (Non Refundable) है।

1.	उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 700/- प्रति आवेदन
2.	अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 1000/- प्रति आवेदन

(1) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्ज़ नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/पेमेंट गेटवे अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगा, इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा एवं जमा करने की विधि वेबसाइट [www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) पर उपलब्ध है। बैंक चार्ज़ अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे।

(2) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्ज़ के मद में जमा की गयी धनराशि किसी भी दशा में न तो वापस की जायेगी और न ही स्थानान्तरित अथवा किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जायेगी।

11. आवेदन कैसे करें:— वेबसाइट [www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) को खोलें एवं टैब “APPLY ONLINE AGAINST ADVT NO.- 02/VSA/2021/APS” पर क्लिक करें तथा नये वेबपेज पर How to Apply पर क्लिक कर प्रक्रिया को समझें।

12. प्रवेश पत्रः—लिखित परीक्षा(CBT) तथा दक्षता (आशुलेखन एवं टंकण) परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र को अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट [www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) से डाउनलोड करना होगा तथा इसकी सूचना आवेदन पत्र में दिये गये रजिस्टर्ड मोबाइल नं० पर SMS एवं रजिस्टर्ड ई-मेल पर मेल द्वारा प्रेषित की जायेंगी। प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ई-मेल एवं मोबाइल नं० को अन्तिम परीक्षाफल आने तक सजीव रखें। परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना इन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

13. अन्य विशेष सूचनाः—

(1) अनिवार्य अहंता सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्रों को अभिलेखों की जाँच के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(2) केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अहं नहीं हैं।

(3) सभी प्रासांगिक अहंताओं सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों तथा एक-एक छायाप्रति मूल आवेदन पत्र के साथ, अभिलेखों की जाँच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन्हें प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में अथवा प्रस्तुत अभिलेख गलत पाये जाने पर अथवा आवेदन पत्र में दी गयी सूचना विज्ञापन के अनुरूप न होने पर अभ्यर्थी को अभिलेखों की जाँच में सम्मिलित न करते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभिलेखों की जाँच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर अहंता पूर्ण न पायें जाने पर अभ्यर्थन/चयन बिना कारण बतायें निरस्त किया जा सकता है।

४५

४५



(5) आवेदन सम्बन्धी पूछताछ हेतु [helpdeskaps221@gmail.com](mailto:helpdeskaps221@gmail.com) पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गये पत्राचार के पते पर ही किये जायेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। विज्ञापन का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट [www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) पर देखा जा सकता है।

**14. पारदर्शिता:-** परीक्षा की पारदर्शिता हेतु निम्न व्यवस्थायें की गई हैं:-

लिखित परीक्षा(CBT) की समाप्ति के पश्चात् प्रश्नपत्र का सही हल, परीक्षा की समाप्ति से ग्रथासम्बव 02 दिन के अन्दर, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा अथवा डाउनलोड करने हेतु लिंक उपलब्ध कराया जायेगा एवं अभ्यर्थी को अपलोड की तिथि से 03 दिन तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। प्राप्त सभी आपत्तियों को संज्ञान में लेने एवं विषय विशेषज्ञों की राय (जिनका निर्णय अंतिम होगा) के उपरांत लिखित परीक्षा(CBT) का मूल्यांकन करते हुए शार्टलिस्टेड सूची जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को [www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) की वेबसाइट से रिस्पांस-शीट अपने लॉगिन आईडी10 एवं पासवर्ड से डाउनलोड करना होगा जिसे आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् परीक्षा सम्बन्धी किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश होगा।**

**16. महत्वपूर्ण तिथियाँ :**

क्रमांक	विवरण	तिथि
1	ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ	03.03.2021 से 24.03.2021 तक
2	नेट बैंकिंग / क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड इत्यादि द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ-	03.03.2021 से 24.03.2021 तक
3	रेट बैंक ऑफ इण्डिया के चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ (चालान डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि 24.03.2021)	03.03.2021 से 26.03.2021 तक
4	ऑनलाइन (CBT) परीक्षा की सम्भावित अवधि	अप्रैल 2021 का चतुर्थ सप्ताह

सचिव  
विद्युत सेवा आयोग

सं0 175/विसेआ/02/VSA/2021/APS दिनांक: 15/02/2021



## Z-Score Normalization

### Normalized Score for each candidate ( $X_n$ )

Below is the formula that is used in the calculation of the normalized scores of the multisession papers.

$$X_n = \frac{S_2}{S_1} * (X - X_{av}) + Y_{av}$$

$S_2$	Is the Standard Deviation of the shift with the Highest Average Score taken as base for normalization
$S_1$	Standard Deviation for the corresponding shift (to be scaled to $S_2$ )
$X$	Raw score of a candidate
$X_{av}$	Simple average of the candidate Shift
$Y_{av}$	Average corresponding to shift with highest Average (taken as base for normalization)

